

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पंकज उर्फ बाबादीन बरुवार पुत्र जगदेव नि० मूड़ाडीह मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं-322/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगदम्बा सोनकर पुत्र मिल्लू नि० पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-392/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. छैलू सोनकर पुत्र परमेश्वर नि० दलपतपुर खटिकन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-369/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम रतन निषाद पुत्र ढोढे निषाद नि० गुप्तार घाट थाना कैण्ट जनपद अयोध्या के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-437/20, 02. रामभवन निषाद पुत्र पुन्नी नि० ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-438/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम प्रकाश पुत्र बाले, बृजलाल पुत्र स्व० जग प्रसाद नि० टेड़िया मौजा बड़वलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-272/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. सुनीता पत्नी राम बहादुर सोनकर नि० विद्यासागर थाना मोतीगंज के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-273/60, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।